<u>न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट–2, गाजियाबाद।</u>

परिवाद सं०–2725/2025

इन्द्रानी राय बनाम नवीन कुमार सिंह

अं०धारा– 138 N.I. Act

थाना–क्रोसिंग रिपब्लिक, गाजियाबाद।

<u>दिनांक–20–05–2026</u>

पत्रावली प्रस्तुत हुई। पत्रावली आज वास्ते तलबी आदेश हेतु नियत है। परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना जा चुका है व पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया गया।

परिवादी द्वारा विपक्षी के विरूद्ध उपरोक्त बाद इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को लेन देन के मद में अंकन 10,00,000/–रूपये का एक चैक दिया गया था। उक्त चैक को परिवादी द्वारा बैंक में प्रस्तुत करने पर वह 'Funds insufficient' की टिप्पणी के साथ अनादृत हो गया। तब विपक्षी को नोटिस प्रेषित किया गया, परन्तु विपक्षी द्वारा समयावधि के अन्दर धनराशि का भुगतान नहीं किया गया। अतः उपरोक्त आधार पर विपक्षी को धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम के अन्तर्गत तलब किये जाने की याचना की गयी है।

परिवादी ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 223 BNSS जरिये शपथपत्र से परिवादपत्र को समर्थित किया है।

अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में परिवादी की ओर से मूल चैक सं० 000052 दिनांकित 15–09–2025 धनराशि कुल अंकन 10,00,000/– रुपये की मूल प्रति, चैक रिटर्न मैमो, कानूनी नोटिस, असल रजिस्ट्री रसीद इत्यादि प्रस्तुत किया गया है।

सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

पत्रावली के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी के पक्ष में चैक दिनांक 15–09–2025 को जारी किया गया है। उक्त चैक 'Funds insufficient' की टिप्पणी के साथ अनादृत होकर परिवादी को वापस हुआ। परिवादी द्वारा विपक्षी को नोटिस प्रेषित किया गया, जो विपक्षी को प्राप्त हो गया। विपक्षी द्वारा भुगतान न किये जाने पर परिवादी द्वारा परिवाद अन्तर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम न्यायालय में दाखिल किया गया। परिवादी द्वारा निर्धारित समयावधि में चैक को बैंक में प्रस्तुत किया गया, अनादृत होने पर समय के अन्दर नोटिस दिया गया और परिवाद के अन्दर मियाद प्रस्तुत किया गया है।

अतः दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से, विपक्षी **नवीन कुमार सिंह** को अन्तर्गत

धारा–138 एन०आई०एक्ट० में तलब करने के आधार प्रथम दृष्टया पर्याप्त है।

<u>आदेश</u>

विपक्षी **नवीन कुमार सिंह** को अं० धारा–138 एन०आई० एक्ट में विचारण हेतु जरिये सम्मन दिनांक 10–07–2026 के लिए तलब किया जाता है। परिवादी उभय प्रकार से पैरवी अन्दर सप्ताह करे।

(प्रणव त्रिपाठी)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कोर्ट सं०–2, गाजियाबाद।